मेसर्स हिंद्स्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर

27 अप्रैल, 1995

[और. एम. साही एवं एस. बी. मजम्दार, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944-धारा 35 (ए)-केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम- नियम 12 और 13 - निर्वचन - भारत के बाहर निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क का भुगतान - नियम 12 एवं 13 एक दूसरे के पूरक हैं- बॉन्ड के तहत बंधुआ गोदाम से निर्यात की जाने वाली वस्तुएँ - शुल्क का भुगतान करने का दायित्व- संपूर्ण छूट का दावा-अस्वीकृत।

अपीलकर्ताओं ने विदेश जाने वाले जहाजो के लिए जहाज के भंडार के रूप में आपूर्ति किए गए हल्के डीजल तेल पर उनके द्वारा भुगतान किया गया शुल्क 18, 859.50 रुपये की राशि के लिए धनवापसी का दावा दायर किया। इस तरह से आपूर्ति किए गए डीजल तेल पर मूल उत्पाद शुल्क लगाया जाता था, जो कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत देय शुल्क, जिसे लागू किसी भी अधिसूचना के साथ पढ़ा जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 13 के संबंध में धनवापसी का दावा इस आधार पर किया गया था कि नियम 13 के संदर्भ में विदेशों में जाने वाले जहाज के भंडार के रूप में बंधुआ स्टॉक से आपूर्ति किए गए एलडीओ और फर्नेस ऑयल के संबंध में कोई शुल्क देय नहीं था सहायक कलेक्टर ने इस दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी आपूर्ति के संबंध में नियम 12 के संबंध में जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के आलोक में, अधिसूचना संख्या 232/67 दिनांक 9.10.1967 के संदर्भ में रियायती दरों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क देय था।

अपील पर, अपीलीय कलेक्टर ने अपीलार्थियों के इस दावे को खारिज कर दिया कि मामला नियम 12 के संदर्भ के बिना नियम 13 द्वारा शासित था। फर्नेस ऑयल के संबंध में धनवापसी के लिए अपीलार्थी के दावे को भी खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ताओं ने आगे की अपीलें दायर की जिन्हें खारिज कर दिया गया। ये अपीलें न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ दायर की गई थीं।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे उन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे जो भारत के बाहर गोदाम या पंजीकृत कारखाने से निर्यात किए गए थे; कि नियमों के नियम 13 के अनुसार ऐसा निर्यात बंधुआ गोदाम या पंजीकृत कारखाने से सीधे निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क के भुगतान के बिना किया जा सकता है; कि नियम 13 नियम 12 से स्वतंत्र है जो केवल उत्पाद शुल्क भुगतान की गई वस्तुओं पर शुल्क की छूट से संबंधित है जो कि बाद में भारत के बाहर निर्यात किया गया हो ; इसलिए, अपीलार्थियों द्वारा विरोध के तहत भुगतान किया गया शुल्क वापस किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी ने कहा कि न्यायाधिकरण अपीलार्थियों के इन सभी दावों को खारिज करने में उचित था।

विचार के लिए उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या अपीलार्थी को, जिसके द्वारा जहाज के भंडारों के रुप में किसी भी विदेशी बंदरगाह के लिए बाध्य जहाजों पर खपत के लिए, संबंधित उत्पाद शुल्क वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, को नियम 13 या नियम 12 के अनुसार इन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करना पड़ता था।

इस न्यायालय ने अपीलों को खारिज करते हुए, अभिनिर्धारित किया गय

1.1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 12 और 13 उन उत्पाद शुल्क वस्तुओं से संबंधित हैं जिन्हें उनके निर्माण के देश से बाहर के देशों में निर्यात किया जाता है। यदि उत्पाद शुल्क वस्तुओं का निर्यात शुल्क का भुगतान करने के बाद किया

जाता है तब वे नियम 12 द्वारा निर्धारित अधिसूचना के अन्सार धनवापसी अर्जित कर सकते हैं। जबकि यदि ये उत्पाद श्ल्क योग्य सामान बॉन्ड द्वारा कवर किए गए बन्धक गोदाम में पाए जाते हैं, तो उन पर देय उत्पाद श्लक का भ्गतान करने के लिए, यदि उन्हें नियम 13 दवारा निर्धारित तरीके से निर्यात किया जाता है, तो वे नियम 12 द्वारा निर्धारित तरीके से श्ल्क के भ्गतान से छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, ये दोनों नियम एक-दूसरे के पूरक हैं और भारत के बाहर निर्यात की जाने वाली उत्पाद शुल्क पर उचित उत्पाद शुल्क के भुगतान के एक ही विषय को शामिल करते हैं। नियम 12 के मामले में पहले शुल्क का भ्गतान किया जाना है और अधिसूचना की शर्त और निर्यात के प्रमाण को पूरा करने पर अधिसूचना के आलोक में उचित धनवापसी अर्जित की जा सकती है। जबकि नियम 13 के मामले में पहली बार में कोई श्ल्क का भ्गतान नहीं किया जाएगा और नियम 13 द्वारा निर्धारित निर्यात के प्रमाण पर प्रतिवादी उन वस्त्ओं पर, जिसकी अन्मति थी उससे अधिक किसी भी श्लक की मांग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि नियम 13 के अन्सार निर्यात का प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो इन वस्त्ओं पर पूरा श्ल्क देना होगा। हालांकि, जहां तक नियम 13 के तहत उत्पाद शुल्क का भ्गतान करने की देनदारी का संबंध है, इसे नियम 12 के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि यह नियम भारत में निर्मित उत्पाद श्ल्क पर भ्गतान किए गए शुल्क की छूट से संबंधित है, जो अंततः भारत के बाहर निर्यात किया गया हो। यहां तक कि नियम 13 की प्रयोज्यता के लिए भी बंध्आ गोदाम में संग्रहीत उत्पाद शुल्क वस्तुओं को उसी तरह से निर्यात किया जाना चाहिए जैसा कि नियम 12 में उल्लिखित है जो नियम 13 से तुरंत पहले है और जो भारत में निर्मित उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओ पर शुल्क के समान रुप से विशेष रियायती भ्गतान से संबंधित है और जो अंततः निर्यात किए जाते हैं और जो देश में विदेशी मुद्रा लाते हैं। ऐसा नहीं है कि नियम 13 के तहत उत्पाद शुल्क वाली वस्तुएं जो कि लाइसेंस प्राप्त

कारखाने के गोदाम से सीधे निर्यात किए जाने वाली हैं : करने पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगता है। यह स्वयं ही नियम 13 की आवश्यकता द्वारा दर्शित के विपरीत है जिसमें निर्यातक से आवश्यक पूर्ण शुल्क के भुगतान के लिए एक बॉन्ड में प्रवेश करने का आह्वान किया गया है, यदि इसके लिए स्थिति उत्पन्न होती है और उस बॉन्ड का निर्वहन नहीं किया जाना है और बॉन्ड के तहत दायित्व को राजस्व के लाभ के लिए तब तक जारी रखना है जब तक कि कलेक्टर की संतुष्टि के लिए निर्यात का प्रमाण उपलब्ध नहीं हो जाता है। [847 - एफ से एच, 848-ए से ई]

हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम आबकारी अधीक्षक मिर्जापुर और अन्य। , [1981] ई. एल. टी. 642 (डी. एल.) पुष्टि की।

- 1.2 . नियम 13 में उत्पाद शुल्क के विलंबित भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है और नियम 13 के तहत निष्पादित बॉन्ड द्वारा कवर की गई ऐसी वस्तुओं पर अंततः देय शुल्क की सीमा क्या होगी, यह नियम 13 से स्वतंत्रतः निर्धारित करना होगा और इसलिए ऐसे माल पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की देयता को बॉन्ड के तहत देयता का निर्वहन करने से पहले पता लगाया जाना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए नियम 13 में पाए जाने वाले वाक्यांश "उसी तरह से निर्यात किया जा सकता है" के अनुसार नियम 12 के साथ संबंध प्रासंगिक हो जाता है। यदि नियम 12 और 13 को एक-दूसरे के साथ नहीं पढ़ा जाता है तो एक विसंगत और भेदभावपूर्ण परिणाम भी आएगा। [850 जी, एच]
- 1.3 . जब नियम 13 समान तरीके से किए जाने वाले निर्यात को संदर्भित करता है, इसका अनिवार्य रूप से वही अर्थ होगा जो पूर्ववर्ती नियम 12 द्वारा निर्धारित शर्तों और आवश्यकताओं के अधीन है, जो एक ही विषय को संदर्भित करता है, अर्थात, उत्पाद शुल्क योग्य पदार्थों और उन पर देय उत्पाद शुल्क का निर्यात, चाहे वस्तुओं के

निर्माता ने शुल्क के भुगतान के बाद या शुल्क के भुगतान से पहले उनका निर्यात किया हो, इन पहल्ओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।[853 - एच, 854-ए]

इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम भारत पर संघ, (1988) 36 ई. एल. टी. 435 (कल.), खारिज कर दिया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 1986 की सिविल अपील सं. 971-72

सीमा शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण नई दिल्ली के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम 1944 में अ.सं. ई डी (एस.बी)/1470/82 सी (आदेश सं. 192/85-सी) में किए गये निर्णय एवं आदेश दिनांकित 19-12-85 से

अपीलार्थी की ओर से सोली जे. सोराबजी और भास्कर वाई. कुलकर्णी।

उत्तरदाता की और से ए. के. गांगुली, दिलीप टंडन, वसीम कादरी और वी. के.

न्यायालय का निर्णय **मजमुदार, जे. के** द्वारा पारित किया गया था सिविल अपीलों का यह समूह उसी अपीलार्थी एम/एस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत संघ और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अन्तर्गत धारा 35 (ए) केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) प्रस्तुत किया गया, जो हमारे विचार के लिए कानून का एक सामान्य प्रश्न उठाता है।

वह प्रशन निम्निखित प्रभाव का है -"क्या अपीलकर्ता जिसने संबंधित उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु को जहाज के भंडार के रूप में जहाज के उपभोग के लिए जहाजों पर निर्यात किया था, किसी भी विदेशी बंदरगाह के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 13 के अनुसार इन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होगा या क्या अपीलार्थी का माल इसके लिए इन नियमों के नियम 12 के अनुसार उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है।"

इन अपीलों की ओर ले जाने वाले कुछ प्रासंगिक परिचयात्मक तथ्य हैं जिन्हें शुरू में नोट किया जाना चाहिए।

1985 की सिविल अपील संख्या 2855 एवं 2856 की ओर ले जाने वाले तथ्य।

अपीलकर्ताओं ने विदेश जाने वाले जहाजों के लिए जहाज के भंडार के रूप में आपूर्ति किए जाने वाले हल्के डीजल तेल (एल. डी. ओ.) पर उनके द्वारा भुगतान किया गया शुल्क 18,859 रुपये 50 पैसे की राशि के लिए धनवापसी का दावा दायर किया। 15.2.77 से 20.4.78 तक की अविध के दौरान सात अलग-अलग अवसरों पर आपूर्ति की गई थी। इस तरह से आपूर्ति किए गए एल. डी. ओ. से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 349/77 दिनांक 16-12-77 के संदर्भ में 36.21 रुपये प्रति किलो लीटर जो 15 सेंटीग्रेड मूल उत्पाद शुल्क लिया जाता था, यानी अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत देय शुल्क, जिसे लागू किसी भी अधिसूचना के साथ पढ़ा जाता है। रिफंड का दावा नियमों के नियम 13 के संबंध में किया गया था। यह अपीलार्थियों का मामला है कि एल. डी. ओ. और फर्नेस ऑयल की केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 13 के संदर्भ में विदेशों में जाने वाले जहाज के भंडार के रूप में बंधुआ भंडार से आपूर्ति की जाती है जिसके संबंध में कोई भी शुल्क देय नहीं था, कि इसलिए वे इन वस्तुओं पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क की वापसी के हकदार हैं।

न्याय निर्णयन की कार्यवाही करने के बाद सहायक कलेक्टर ने दावे को खारिज कर दिया। सहायक कलेक्टर के अनुसार ऐसी आपूर्ति के संबंध में नियम 12 के संबंध में जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के आलोक में, अधिसूचना संख्या 232/67 दिनांक 9.10.67 के संदर्भ में रियायती दरों पर अतिरिक्त उत्पाद श्ल्क देय था। संक्षेप में, धनवापसी के दावे का निर्णय नियम 12 के आलोक में किया गया था न कि नियम 13 के तहत। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने अपील की। अपीलीय कलेक्टर ने अपीलार्थियों के इस दावे को खारिज कर दिया कि मामला नियम 12 के संदर्भ के बिना नियम 13 द्वारा शासित था। भट्टी के तेल नामक एक अन्य वस्तु के संबंध में धनवापसी के लिए अपीलकर्ताओं के दावे को भी सहायक कलेक्टर द्वारा खारिज कर दिया गया और उसी के संबंध में अपील को भी अपीलीय प्राधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) न्यायाधिकरण (इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) के समक्ष दो और अपीलें दायर कीं। टूब्यूनल ने अपने सामान्य आदेश द्वारा हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, मिर्जापुर और अन्य (1981) ईएलटी 642 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए इन अपीलों को खारिज कर दिया। न्यायाधिकरण के इस फैसले के खिलाफ वर्तमान दो अपीलें दायर की गई हैं।

॥. दीवानी अपील संख्या 5396 - 5398/85 की ओर ले जाने वाले तथ्य।

अपीलार्थी ने 7.2.78 से 4.5.78 की अवधि के दौरान हल्के डीजल तेल (एल. डी. ओ.) और फर्नेस तेल का निर्यात किया। अपीलार्थियों के अनुसार नियमों के नियम 13 के अनुसार, इन निर्यातों पर कोई शुल्क देय नहीं था। दिनांकित 04-10-1978 के एक आदेश द्वारा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अधीक्षक, कलकता द्वितीय प्रभाग ने शुल्क की मांग उठाई और इसलिए, अपीलकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराते हुए शुल्क का भुगतान किया। इसके बाद 18 मई, 1978 को अपीलकर्ताओं ने विरोध के तहत भुगतान किए गए शुल्क की धन वापसी का दावा किया। दिनांक 1.9.78 और 7.9.78 के आदेशों द्वारा, सहायक कलेक्टर ने अपीलार्थियों के धनवापसी के दावे को खारिज कर दिया। अपीलकर्ताओं ने अपीलीय कलेक्टर के समक्ष अपीलों को दायर किया, जिन्होंने दिनांक

17-03-1981 के आदेश द्वारा अपीलों की अनुमित दी और कहा कि धनवापसी के दावे नियमों के नियम 13 के अनुसार स्वीकार्य थे।

भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 36 (2) के अनुसार 11 सितंबर, 1981 तारीख को, अपीलार्थियों से कारण दिखाने का आहवान करते हुए कि अपील कलेक्टर का आदेश रद्घ क्यों नहीं किया जाना चाहिए, एक कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया। अपीलकर्ताओं ने 14.10.81 को कारण दर्शाओ नोटिस का जवाब दिया। इसके बाद, कार्यवाही को न्यायाधिकरण में स्थानांतरित कर दिया गया। न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 02-05-85 के सामान्य आदेश द्वारा अपीलीय कलेक्टर के आदेश को दरिकनार करके और सहायक कलेक्टर के आदेश को बहाल करके समीक्षा कार्यवाही का निपटारा किया। इस तरह न्यायाधिकरण के दिनांक 2.5.85 के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई हैं।

III. दीवानी अपील संख्या 971-72 / 86 की ओर ले जाने वाले तथ्य।

अपीलकर्ताओं ने 26.12.77 से 22.8.78 की अवधि के दौरान बंकरों में उनके बंधे हुए टैंकों से हल्के डीजल तेल (एल. डी. ओ.) और भट्टी तेल की, विदेश जाने वाले जहाजों से आपूर्ति की। अपीलार्थियों के अनुसार उपरोक्त तेल का उक्त निर्यात नियमों के नियम 13 के अंतर्गत आता है। 29.4.78 पर अपीलकर्ताओं ने अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कलकता द्वितीय प्रभाग की मांग के विरोध में शुल्क का भुगतान किया। इसके बाद, 5.4.79 पर अपीलार्थी द्वारा विरोध के तहत भुगतान किए गए शुल्क के लिए पसंदीदा धनवापसी का दावा किया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कलकत्ता द्वितीय प्रभाग के सहायक कलेक्टर ने दिनांक 8.9.90 के आदेश द्वारा धनवापसी के दावों को खारिज कर दिया। अपीलकर्ताओं ने अपीलीय कलेक्टर को सहायक कलेक्टर के निर्णय आदेश के विरुद्ध, दो अपील नं. 1524 & 1525/1981 दायर कीं। अपीलीय कलेक्टर ने दिनांक

6.11.81 के आदेश द्वारा अपीलार्थियों के दावे की अनुमित दी। अपीलीय कलेक्टर ने अभिनिर्धारित किया कि धनवापसी के दावे नियमों के नियम 13 के अनुसार स्वीकार्य थे। 27 अगस्त, 1982 को प्रत्यर्थी सं 1 , भारत सरकार ने अधिनियम की धारा 36 (2) के तहत एक कारण दर्शाओं नोटिस जारी किया जिसमें अपीलकर्ताओं को कारण दर्शित करने के लिए कहा गया था कि अपीलीय कलेक्टर के आदेश को क्यों दरिकनार नहीं किया जाना चाहिए। अपीलार्थियों ने 29 सितंबर, 1982 को कारणदर्शक नोटिस पर अपना जवाब दाखिल किया। उक्त कार्यवाहियों को न्यायाधिकरण में स्थानांतरित कर दिया गया और अपील सं॰ ईडी (एसबी) (टी) 1470/82-सी के रूप में दर्ज किया गया। उक्त अपील को न्यायाधिकरण द्वारा 19.2.85 पर अनुमित दी गई थी। अपीलीय कलेक्टर के आदेश को दरिकनार कर दिया गया और सहायक कलेक्टर के आदेश को बहाल कर दिया गया। इस प्रकार अपीलकर्ताओं ने न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय के खिलाफ अधिनियम की धारा 35 (2) के तहत दो अपीलें दायर की।

IV. सिविल अपील संख्या 4176-96 / 86 की ओर ले जाने वाले तथ्य।

अपीलार्थियों ने दिनांक 01-01-78 से 30-06-81 की अविध के मध्य बंधुआ भंडार से विदेशी बंध के अधीन हवाई जहाजों में पालम डिपो से एविएशन टर्बाइन फयूल/हवाई इंधन (ATF) की आपूर्ति की। पूर्वोक्त आपूर्ति, नियमों के नियम 13 के अधीन की गई। अपीलार्थियों के अनुसार इन वस्तुओ पर उत्पाद शुल्क देय नहीं था। हालांकि, विरोध दिशत करते हुए , शुल्क का भुगतान किया गया था। अपीलकर्ताओं ने उस अविध के दौरान भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के लिए 21 दावे दायर किए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर, एमओडी-I, नई दिल्ली ने दिनांक 17.10.84/18.1.84 के अलग-अलग आदेशों द्वारा धनवापसी के दावों को खारिज कर दिया। अपीलकर्ताओं ने अपीलीय कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली के समक्ष 1979 और 1982 की अविध के दौरान अपील की। सहायक कलेक्टर के आदेशों के

खिलाफ अपीलार्थियों की 21 अपीलों को भी अपीलीय कलेक्टर द्वारा दिनांक 23-07-84 और 21-08-84 के आदेशों द्वारा खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ताओं ने अपीलीय कलेक्टर के आदेशों के खिलाफ 21 पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किए। भारत सरकार ने 19.3.85 पर इन पुनरीक्षण आवेदनों को खारिज कर दिया और यही कारण है कि अपीलकर्ताओं ने 21 पुनरीक्षण आवेदनों में अधिकरण के आक्षेपित निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध विशेष अनुमित याचिकाओं को प्रस्तुत किया। इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने की अनुमित दिए जाने के बाद, ये अपील दीवानी अपील के रूप में दर्ज की जाती हैं।

श्री सोली जे. सोराबजी, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित, विदवान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि अपीलकर्ता उन वस्तुओं पर उत्पाद श्ल्क का भ्गतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं जो गोदाम या पंजीकृत कारखाने से भारत के बाहर निर्यात की जाती हैं। कि नियमों के नियम 13 के अन्सार इस तरह का निर्यात बंध्आ गोदाम या पंजीकृत कारखाने से सीधे निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क का भुगतान किए बिना किया जा सकता है।यह कि नियम 13 नियम 12 से स्वतंत्र है, जो केवल उत्पाद शुल्क भुगतान की गई वस्तुओं पर शुल्क की छूट के साथ, जो बाद में भारत के बाहर निर्यात की जाती हैं, से संबंधित है। कि इसलिए, इन सभी मामलों में, अपीलार्थियों द्वारा विरोध के तहत भ्गतान किया गया श्ल्क वापस करने योग्य था। अपीलाथियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री सोराबजी द्वारा, यह निवेदन किया गया कि इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड v. भारत संघ, (1988) 36 ई. एल. टी. 435 के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि नियम 13 नियम 12 से स्वतंत्र है और एक निर्माता निर्यातक जिसने नियम 13 के प्रावधानों का पालन किया है, वह ऐसी वस्त्ओं पर कोई श्ल्क का भ्गतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था और इसके विपरीत दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से कलकत्ता उच्च

न्यायालय ने ठीक ही असहमित जताई थी। संक्षेप में, उक्त निर्णय पर भरोसा रखते हुए यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलों की अनुमित दी जानी चाहिए। दूसरी ओर, राजस्व के लिए विद्वान स्थायी वकील ने तर्क दिया कि इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ (ऊपर) में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित दृष्टिकोण, एक सही दृष्टिकोण है। और कलकता उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सही कानून निर्धारित नहीं करता है। कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुकरण करते हुए अपीलार्थियों के इन सभी दावों को खारिज करने में न्यायाधिकरण उचित था।

इन प्रतिद्वंद्वी विवादों को देखते हुए, यह स्पष्ट हो जाता है कि इन कार्यवाहियों का निस्तारण, नियमों के नियम 12 और 13 की सही व्याख्या पर निर्भर करता है। ये नियम अधिनियम की धारा 36 (2) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों के प्रयोग में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का हिस्सा हैं। नियम 12 और 13 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा क्योंकि वे पक्षों के बीच विवाद को हल करने के लिए तात्विक समय पर क़ानून प्स्तिका में मौजूद थे।

" नियम 12. निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क में छूट। - (1) केंद्र सरकार, समय-समय पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,यदि भारत से बाहर निर्यात किया जाता है, तो ऐसी हद तक, और ऐसे सुरक्षा उपायों के अधीन, वस्तुओं के वर्ग, नियति, परिवहन के साधन और अन्य संबद्ध मामलों के संबंध में शर्तों और सीमाओं के अधीन, जो उसमें निर्दिष्ट की जा सकती हैं, उत्पाद शुल्क में छूट दे सकती हैं।

बशर्ते कि यदि कलेक्टर संतुष्ट हो कि माल वास्तव में निर्यात किया गया है, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इस तरह की छूट के लिए दावे के

पूरे या किसी भी हिस्से की अनुमित दे सकता है, भले ही इस नियम के तहत जारी किसी भी अधिसूचना में निर्धारित सभी या किसी भी शर्त का पालन नहीं किया गया हो।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए "कलेक्टर" शब्द में मद्रास, बॉम्बे, कलकता और कोचीन में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर शामिल हैं। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर जिनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में विशाखापत्तनम, काकींदा, जामनगर, मैंगलोर, भावनगर, वेरावल, पोरबंदर, रामेश्वरम, तूतीकोरिन, कांडला, कुड्डालोर, ओखा, नागापट्टिनम, पांडिचेरी और पारादीप का हवाई अड्डा या बंदरगाह स्थित हैं।

- (2) जहां केंद्र सरकार उप-नियम (1) के तहत भारत से बाहर के देश में निर्यात किए गए उत्पाद शुल्क योग्य माल पर भुगतान किए गए शुल्क पर पूर्णतः या भागतः छूट नहीं देती है, वहां वह भारत और उस देश की सरकार के बीच हुई किसी संधि से उत्पन्न होने वाले दायित्वों को पूरा करने या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, वह भारत के बाहर किसी देश को निर्यात की जाने वाली उत्पाद शुल्क पर पूरी तरह से या आंशिक रूप से और शुल्क की छूट उस देश की सरकार को भुगतान के लिए प्रदान कर सकता है, जो भारत से बाहर उस देश को निर्यात की जाने वाली ऐसी वस्तुओं पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क से अधिक नहीं होगी।
- 13. माल के बॉन्ड के तहत निर्यात जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है नमक, सब्जी, गैर-आवश्यक तेल और चाय के अलावा अन्य सभी प्रकार की चाय, टी. सी. (2) के तहत पैकेज चाय को छोड़कर, शुल्क भुगतान वाली खुली चाय से बनी चाय, उसी तरह गोदाम या लाइसेंस प्राप्त कारखाने से शुल्क का भुगतान किए बिना निर्यात की जा सकती है, बशर्ते कि निर्यात इन नियमों के अध्याय IX के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अन्सार किया गया हो, और मालिक उचित रूप में,

ऐसी प्रतिभूति या पर्याप्त प्रतिभूति के साथ, और ऐसी शर्तों के तहत जिसे कलेक्टर मंजूरी देता है, कम से कम माल पर प्रभार्य शुल्क के बराबर राशि में, निर्यात के स्थान पर उसके उचित आगमन और सीमा शुल्क या डाक पर्यवेक्षण के तहत उनसे उनके निर्यात के लिए, जैसा भी मामला हो, नियम 12 के तहत निर्यात की गई वस्तुओं के लिए विहित अविध के भीतर एक बॉन्ड में प्रवेश करता है और ऐसा बॉन्ड तब तक निर्वहन नहीं किया जाएगा, जब तक माल कलेक्टर की संतुष्टि के अनुसार, एेसे निर्यात के लिए अनुज्ञेस समय के भीतर, अथवा एेसे अधिकारी की संतुष्टि पर अन्यथा गणना किए समय पर, विधिवत निर्यात नहीं किया जाता है; ना तो जब तक कि माल की कमी पर, पूर्णदेय शुल्क, और ना ही इस प्रकार हिसाब में लिया गया हो; भ्गतान किया गया हो।

स्पष्टीकरण- इस नियम के साथ-साथ नियम 14, 14 क और 14 ख,के उद्देश्य के लिए (i) "कलेक्टर" शब्द में बॉम्बे, मद्रास और कलकता में केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर शामिल हैं। और (ii) ' माल 'में जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, उनके निर्माण में उपयोग की जाने वाली उत्पाद शुल्क वाली वस्तुएं शामिल हैं।"

नियम 12 पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि यह उन उत्पाद शुल्क वस्तुओं को शामिल करेगा जो पहले से ही उत्पाद शुल्क के भुगतान के अधीन हैं लेकिन जिन्हें बाद में भारत के बाहर निर्यात किया जाता है। नियम 12 द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के प्रमाण पर, ऐसी वस्तुओं के संबंधित निर्यातक केंद्र सरकार द्वारा नियम 12 के उप-नियम (1) के तहत जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार छूट प्राप्त कर सकेंगे। जहां तक नियम 13 का संबंध है, नियम में उल्लिखित अन्य उत्पाद शुल्क वस्तुओं को उसी तरीके से निर्यात किया जा सकता है, जिसका अर्थ नियम 12 द्वारा निर्धारित किया गया है, गोदाम या लाइसेंस प्राप्त कारखाने से शुल्क का भ्गतान किए बिना, बशर्ते कि निर्यात इन नियमों के अध्याय IX

के अनुसार संबंधित प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया हो। और मालिक निर्यात के बंदरगाह पर नियत आगमन के लिए माल पर प्रभार्य राशि के समत्ल्य राशि की ऐसी शर्तों के तहत इस तरह की जमानत या पर्याप्त प्रतिभृति के साथ उचित रूप में एक बॉन्ड में प्रवेश करता है। और इस तरह के बॉन्ड का निर्वहन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कलेक्टर की संत्ष्टि के लिए माल का विधिवत निर्यात नहीं किया जाता है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि नियम 12 और 13 उन उत्पाद शुल्क से संबंधित वस्तुओं से संबंधित हैं जिन्हें उनके निर्माण के देश से बाहर के देशों में निर्यात किया जाता है। यदि उत्पाद श्ल्क के भ्गतान के बाद उत्पाद श्ल्क योग्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता है तो वे नियम 12 द्वारा निर्धारित अधिसूचना के अनुसार धनवापसी अर्जित कर सकते हैं, जबकि यदि ये उत्पाद शुल्क देय श्ल्क का भ्गतान करने के लिए बॉन्ड द्वारा कवर किए गए बंध्आ गोदाम में पाए जाते हैं, तो यदि उन्हें नियम 13 दवारा निर्धारित तरीके से निर्यात किया जाता है तो वे नियम 12 द्वारा निर्धारित तरीके से श्ल्क के भ्गतान से छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, ये दोनों नियम एक-दूसरे के पूरक हैं और भारत के बाहर निर्यात की जाने वाली उत्पाद शुल्क पर उचित उत्पाद शुल्क के भुगतान के एक ही विषय को शामिल करते हैं। नियम 12 के मामले में श्ल्क का भ्गतान पहले और अधिसूचना की शर्त को पुरा करने पर किया जाना है और नियोत के सबूत पर सम्चित धनवापसी अधिसूचना के आलोक में अर्जित की जा सकती है। जबकि नियम 13 के मामले में पहली बार में कोई श्लक का भ्गतान नहीं किया जाएगा और नियम 13 द्वारा निर्धारित निर्यात के प्रमाण पर प्रतिवादी उन वस्तुओं पर किसी भी शुल्क की मांग नहीं कर सकते हैं, जो अनुमत है। लेकिन यदि नियम 13 के अनुसार निर्यात का प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो इन वस्तुओं पर पूर्ण शुल्क भुगतान करना होगा। हालाँकि, जहाँ तक नियम 13 के तहत उत्पाद शुल्क का भ्गतान करने की देयता का संबंध है, इसे नियम 12 के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि यह नियम भारत में निर्मित उत्पाद श्ल्क योग्य वस्त् पर भ्गतान किए गए शुल्क की छूट से संबंधित है जो अंततः भारत के बाहर निर्यात किए गए हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि नियम 13 की प्रयोज्यता के लिए भी उत्पाद श्लक योग्य वस्त् जो बंधुआ गोदामों में रखे गए हैं, और जो उसी प्रकार से निर्यात किए जाने हैं, अर्थात जैसे कि नियम 12 में कथित है, समान परिस्थितियों में, नियम 12 जो नियम 13 से त्रंत पहले है और जो उत्पाद श्ल्क योग्य वस्त् जो भारत में निर्मित और जो अंततः निर्यात किए जाते हैं और जो देश में विदेशी मुद्रा लाते हैं, पर श्लक के समान विशेष रियायती भ्गतान से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि नियम 13 के तहत उत्पाद श्ल्क वाली वस्त्एं लाइसेंस प्राप्त कारखाने के गोदाम से सीधे निर्यात किए जाने पर कोई उत्पाद श्ल्क नहीं लगता है, जो कि स्वयं नियम 13 में निर्देशित आवश्यकता के विपरित है, जो निर्यातक को पूर्ण शुल्क के भ्गतान के लिए बंध में प्रवेश करने का आवहान करता है, एेसी दशा में यदि एेसी स्थिति पैदा होती है, तो उसके लिए वह बंध तब तक उनमोचित नहीं किया जायेगा, और उस बंध के तहत बाध्यता तब तक राजस्व के हित में जारी रहेगी, जब तक कलेक्टर की संत्ष्टि के लिए निर्यात का प्रमाण उपलब्ध नहीं हो जाता। अपीलार्थियों का यह तर्क कि नियम 13 नियम 12 से स्वतंत्र है, इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

यही दृष्टिकोण दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम आबकारी अधीक्षक, मिर्जापुर और अन्य। (ऊपर) के मामले में लिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के विचार के लिए एक समान प्रश्न पूछा गया था। इसका जवाब दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सच्चर, जे. के माध्यम से दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनिधीरित किया कि शुल्क या छूट की मात्रा नियम 12 के तहत जारी अधिसूचना के आलोक में निधीरित की जानी चाहिए। नियम 13 के तहत पहले शुल्क भुगतान के बिना शुल्क योग्य माल का निर्यात किया जा सकता है, लेकिन

इसका मतलब यह नहीं है कि माल श्लक का भ्गतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। चूंकि नियम 13 बॉन्ड के तहत माल जारी करने पर विचार करता है, इसलिए याचिकाकर्ता श्ल्क के भ्गतान को स्थगित करने का दावा कर सकता है, लेकिन पूर्ण छूट का दावा नहीं कर सकता है। नियमों के नियम 9 और नियम 140 का उल्लेख करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हालांकि नियम 9 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी उत्पाद श्ल्क योग्य वस्त् को श्ल्क के भ्गतान के बिना वहां से नहीं हटाया जाएगा, नियम 13 शुल्क के भुगतान के बिना निर्यात के लिए इस तरह से हटाने की अनुमति देता है। नियम 140 कलेक्टर को कर योग्य वस्त्ओं, जिन पर शुल्क का भ्गतान नहीं किया गया है, के भंडारण के लिए एक निजी गोदाम को मंजूरी देने के लिए सशक्त बनाता है, और यह भी अधिकार देता है कि वह आवश्यक होने पर माल पर श्ल्क का भ्गतान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त गोदाम धारक से बॉन्ड निष्पादित करने की आवश्यकता हो सकती है। नियम 47 पर यह भरोसा भी रखा गया था जो निर्माता को बिना श्ल्क भ्गतान के उसी परिसर में निर्मित वस्त्ओं को जमा करने के लिए अपने परिसर में भंडारण के अन्य स्थान पर भंडार कक्ष प्रदान करने के लिए सक्षम बनाता है। इस तरह के भंडार कक्ष या स्थान को कलेक्टर द्वारा अन्मोदित किया जाना चाहिए। बेशक, ऐसे मामले में निर्माता को नियम 48 में उल्लिखित भ्गतान के लिए एक बॉन्ड में प्रवेश करना पड़ता है नियम 13 का उल्लेख करते हए यह देखा गया था, उक्त नियम के अनुसार शुल्क का भुगतान किए बिना एक गोदाम या एक लाइसेंस प्राप्त कारखाने से माल का निर्यात किया जा सकता है, बशर्ते कि मालिक एक बॉन्ड में प्रवेश करता है जैसा कि उसमें विचार किया गया है। निर्माता या किसी अन्य मालिक के लिए नियम 13 के तहत बॉन्ड में प्रवेश करना संभव है। नियम 140 के तहत भी वह गोदाम जिसमें श्ल्क का भ्गतान किए बिना माल हटाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि निर्माता का हो। नियम 13 के प्रावधान पर भी भरोसा रखा

गया था कि शुल्क के भुगतान के बिना वस्तुओं का निर्यात नियमों के अध्याय IX के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है जिसमें नियम 185 शामिल होगा। इसलिए, नियम 12 के तहत 17.5.1969 पर जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित शर्तें नियम 13 के तहत निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर स्वचालित रूप से लागू होंगी। यह भी देखा गया कि ऐसा नहीं था कि नियम 13 के तहत निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी। रिपोर्ट के पैरा 14 में यह देखा गया कि शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी। रिपोर्ट के पैरा 14 में यह देखा गया कि शुल्क के भुगतान के बिना हटाने की सुविधा को शुल्क के भुगतान से छूट के मूल अधिकार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है जैसा कि श्री सोराबजी का तर्क था। नियम 8 केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन छूट देने का अधिकार देता है जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती हैं कि उत्पाद शुल्क पूरे या उस पर देय शुल्क के किसी भी हिस्से से मुक्त हो। यह अपीलार्थियों का मामला नहीं था कि नियम 13 के तहत बॉन्ड के तहत निर्यात की गई वस्तुओं को शुल्क के भुगतान से छूट देते हुए कोई अधिसूचना जारी की गई थी।

याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वकील की दलीलों को खारिज करते हुए कि नियम 13 के संदर्भ में समान तरीके से निर्यात की जा रही वस्तुओं के संबंध में प्रावधानों के लिए केवल निर्यात की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जैसा कि नियम 12 द्वारा विचार किया गया है। और नियम 12 के तहत जारी अधिसूचना के तहत निर्धारित उत्पाद शुल्क की दर से इसका कोई लेना-देना नहीं था, यह देखा गया कि ऐसी वस्तुओं के निर्यात की प्रक्रिया पहले से ही नियमों के अध्याय IX द्वारा निर्धारित की गई थी और इसका स्पष्ट रूप से नियम 13 में उल्लेख किया गया था। इसलिए, नियम 13 में पाए जाने वाले वाक्यांश 'समान तरीके से निर्यात किया जा सकता है' का नियम 12 द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के दायित्व के साथ स्पष्ट संबंध है। और तदनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों का यह तर्क कि नियम

13 नियम 12 से स्वतंत्र था, खारिज कर दिया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बॉन्ड के तहत नियम 13 के तहत बंधुआ गोदाम से निर्यात की गई वस्तुओं को भी नियम 12 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा इंगित सीमा तक शुल्क वहन करना होगा जो प्रासंगिक समय पर लागू होता है।

हमारे विचार में दिल्ली उच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय, उपयुक्त समय पर क्षेत्र पर नियंत्रण करते हुए, अन्य प्रासंगिक नियमों के आलोक में नियम 12 और 13 की योजना को सही तरीके से रखता है। नियम 13 में केवल उत्पाद श्ल्क का भ्गतान करने वाले संबंधित निर्माता को उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करने की स्विधा दी गई है, जब ऐसे सामान को नियम 13 के तहत विधिवत निष्पादित बॉन्ड के तहत बंध्आ गोदाम या लाइसेंस प्राप्त कारखाने से बाहर निकाला जाता है, जो उत्पाद श्ल्क के भ्गतान को स्थगित करता है, लेकिन साथ ही साथ उन पर पूर्ण उत्पाद श्ल्क के भ्गतान के राजस्व की गारंटी भी देता है, यदि वे अंततः निर्यात नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार उत्पाद श्ल्क का भ्गतान करने का दायित्व समाप्त नहीं होता है और माल को उत्पाद शुल्क के भुगतान से पूरी तरह से छूट नहीं मिल जाती है, क्योंकि शुल्क का दायित्व अधिनियम द्वारा निर्धारित किए जाने के साथ ही संलग्न हो जाता है। जब हम नियमों के अध्याय IX की ओर मुड़ते हैं तो हम पाते हैं कि यह शुल्क की छूट या बॉन्ड के तहत निर्यात से संबंधित है। इस प्रकार अध्याय IX के तहत एक सामान्य प्रक्रिया प्रदान की गई है, नियम 12 द्वारा परिकल्पित माल के निर्यात पर शुल्क की छूट के दावे के लिए और उत्पाद शुल्क के निर्यात के संबंध में नियम 13 के तहत निष्पादित बॉन्ड के तहत भी। नियम 13 के अनुसार निर्यातक, जिन उत्पाद शुल्क वस्तुओं पर श्ल्क का भ्गतान नहीं किया गया था, उन्हें भी अध्याय IX के तहत उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जिसका नियम 12 के तहत निर्यात के लिए पालन किया जाना है। इस प्रकार उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्यातक, जिन पर पहली बार में श्लक का भुगतान नहीं किया जाता है, लेकिन जो माल के मालिक द्वारा राजस्व के पक्ष में विधिवत निष्पादित बॉन्ड के तहत आते हैं, उन्हें भी अध्याय IX में पाए गए नियम 185 की प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसलिए नियम 13 केवल इतना करना चाहता है कि यह उत्पाद शुल्क के विलंबित भुगतान की सुविधा प्रदान करता है और ऐसी वस्तुओं पर अंततः देय शुल्क की सीमा क्या होगी, यह नियम 13 के तहत निष्पादित बॉन्ड द्वारा कवर किया जाना नियम 13 से स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया जाना होगा और यही कारण है कि बॉन्ड के तहत दायित्व का निर्वहन करने से पहले ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की देयता का पता लगाया जाना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए नियम 12 के साथ संबंध, नियम 13 में पाए जाने वाले वाक्यांश "उसी तरह से निर्यात किया जा सकता है" के अनुसार प्रासंगिक हो जाता है। यदि नियम 12 और 13 को एक-दूसरे के साथ नहीं पढ़ा जाता है तो एक विसंगत और भेदभावपूर्ण परिणाम भी आएगा। यह एक सरल उदाहरण लेकर प्रदर्शित किया जा सकता है।

यदि सिलाई मशीन जैसी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु को बॉन्ड के तहत नियम 13 के तहत बंधुआ गोदाम से निर्यात किया जाता है तो उसे निर्यात होने तक उत्पाद शुल्क नहीं देना पड़ सकता है। लेकिन यदि वही वस्तु, अर्थात् सिलाई मशीन, पूर्ण उत्पाद शुल्क के भुगतान पर पूर्व-कारखाना द्वार से निकलती है और उसके बाद उसे निर्यात किया जाता है और यदि इसे नियम 12 (1) के तहत छूट देने वाली अधिसूचना द्वारा कवर किया जाता है, तो केवल इसलिए कि उसी वस्तु को पहले पूर्ण शुल्क के भुगतान पर कारखाने के द्वार से मंजूरी दी जाती है, तो उसे अधिसूचना के अनुसार निर्यात के प्रमाण पर कम उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होगा। जबिक वही वस्तु यदि एक बंधुआ गोदाम में रखी जाती है, और फिर निर्यात किया जाता है, तो यह पूरी तरह से शुल्क से छूट प्राप्त कर सकती है। अगर इस तरह की सिलाई मशीन के लिए कहा जाए तो उत्पाद शुल्क रु 100 प्रति मशीन हो, और निर्यात के प्रमाण पर यदि 20

प्रतिशत छूट उपलब्ध होनी है, तो 100 रुपये के भुगतान के बाद ऐसी मशीन के निर्यात के प्रमाण पर उत्पाद शुल्क निर्यातक को 20 रुपये वापस पाने का अधिकार देगा। और ऐसी मशीन को 80 रुपये का उत्पाद शुल्क वहन करना पड़ सकता है। जबिक वही सिलाई मशीन जो अन्यथा 100 रुपये का भ्गतान करने के लिए उत्तरदायी है, नियम 13 के अन्सार बॉन्ड के तहत श्ल्क के विलंबित भ्गतान की स्विधा का लाभ उठाकर एक बंध्आ गोदाम में लगायी जाती है, और यदि नियम 13 को नियम 12 से स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाना है, तो बंधुआ गोदाम से ऐसी मशीन का निर्यात, नियातक को उसी मशीन पर ड्यूटी के माध्यम से 100 रुपये की पूरी छूट का दावा करने का अधिकार देगा। इस प्रकार एक व्यक्ति जो पहले उत्पाद शुल्क का भ्गतान करता है और फिर वस्तु का निर्यात करता है, वह कम शुल्क के रूप में 80 रुपये का भ्गतान करेगा, जबिक एक व्यक्ति जिसे बंध्आ गोदाम से वस्त् निकालने और उसे निर्यात कराने के चरण में शुल्क का भ्गतान न करने की स्विधा प्राप्त है, उसे उसी वस्त् पर शुल्क से क्ल छूट प्राप्त होगी जबिक वह अन्यथा उत्पाद श्ल्क की समान दर वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसा परिणाम भेदभावपूर्ण और मनमाना होगा। इस तरह के विसंगत परिणाम से बचने के लिए नियम 13 को नियम 12 के साथ और नियम 12 के पूरक के रूप में पढ़ना होगा। यदि नियम 13 को नियम 12 से स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाता है जैसा कि अपीलार्थियों के वरिष्ठ स्थायी वकील श्री सोराबजी द्वारा तर्क दिया गया है। ऐसी सिलाई मशीन के निर्यातक, जो 100 रुपये का पूरा शुल्क देने में तत्पर हैं, और फिर निर्यात करने पर उसे न्कसान उठाना पड़ेगा क्योंकि उसे अंततः श्ल्क के रूप में 80 रुपये का भ्गतान करना होगा। लेकिन एक व्यक्ति, जो पहली बार में शुल्क का भ्गतान नहीं करता है, वह नियम 13 की शर्तों को पूरा करने के बाद शून्य शूल्क का भुगतान करेगा। इससे शुल्क का भुगतान न करने पर प्रीमियम लगेगा और इसके परिणामस्वरूप समान रूप से असमान व्यवहार होगा। दूसरी ओर यदि नियम 12 और

13 को प्रत्येक के पूरक के रूप में पढ़ा जाए, जैसा कि वे कर योग्य वस्त्ओं के निर्यात पर श्ल्क की छूट के समान विषय का प्रबंध करते हैं, तो एक न्याय संगत परिणाम आयेगा। यह स्पष्ट है कि इन नियमों की व्याख्या इसे इस तरह से किया जाना चाहिए कि असमान परिणाम से बचा जा सके और न्यायसंगत परिणाम स्निश्चित किया जा सके। हमारे अन्सार दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण काफी न्यायोचित और अनापवादित है, क्योंकि यह इस तरह के असमान परिणाम से बचाता है। इसके विपरीत, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड v. भारत संघ (ऊपर) का मामला जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नियम 13 को नियम 12 से स्वतंत्र रूप से लागू किया जाना है, स्पष्ट रूप से उपरोक्त असमान परिणामों को जन्म देगा, जिसके स्वरुप पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले की ओर म्इते हए, हम पाते हैं कि कलकता उच्च न्यायालय ने इन नियमों में उपयोग किए गए शब्दों , अर्थात्, "उत्पाद श्ल्क भ्गतान किये जाने पर छूट" पर जोर रखा है, जैसा कि नियम 12 में पाया गया है, जो कि नियम 12 में विपरीत शब्दो जो, "वस्तुओं के बंध के अधीन निर्यात जिन पर श्ल्क का भ्गतान नहीं किया गया है।" के रुप में स्भिन्न किये गए हैं। हमारे विचार में यदि इन दोनों की सामान्य योजना को, नियमों के उचित परिप्रेक्ष्य में पढा जाता है, इन नियमों में निहित केवल वाक्यांश का अंतर उत्पाद श्ल्क के भ्गतान के समय और तरीके के संबंध में महत्वहीन हो जाएगा। यह सच है जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विचार किया है कि नियम 12 एक अधिसूचना की बात करता है, जबकि नियम 13 में इसका किसी भी अधिसूचना के लिए उल्लेख नहीं है। लेकिन एक बार, यह ध्यान में रखा जाता है कि कर्तव्य का भार जो संबंधित वस्तु से उत्पन्न हुआ है, चाहे वह बंधुआ गोदाम से या खुले बाजार से निर्यात की गई हो, किसी भी असमान परिणाम, से बचने के लिए समान होना चाहिए,

इन नियमों में प्रयोग किए गये वाक्यांश कथन में अन्तर से, इन नियमों के वास्तविक निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड सकता है। सरल कारण के लिये ऐसा होना चाहिए कि अंततः उत्पाद शुल्क का सटीक बोझ किसी निर्यातित वस्त् द्वारा वहन किए जाने के लिए नियम 12 के तहत जारी अधिसूचना दवारा नियंत्रित होना **होगा।** कलकता उच्च न्यायालय द्वारा रिपोर्ट के पैरा 14 में अपनाए गए तर्क कि नियम 13 के अनुसार निर्यात बन्धित गोदाम से किया जाता है और इसलिए उत्पादक लाभ अर्जित नहीं करता है, जो वह अर्जित कर सकता है, यदि पहले उत्पाद श्ल्क भ्गतान पर माल का भ्गतान कर दिया जाता है और फिर उनका निर्यात किया जाता है, समान रूप से अन्चित है। हमारी राय में यह अंतर बिना किसी वास्तविक अंतर के है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि एक्साइज़ेबल वस्त् घरेलू उपभोग के लिए वस्त्ओं को पास किया जाता है और फिर नियम 12 के तहत निर्धारित समय के भीतर निर्यात किया जाता है। धनवापसी का दावा निर्यातक दवारा किया जाएगा, जो हो सकता है कि वह ऐसी वस्त् का निर्माता न हो। ऐसा निर्माता जब वह घर के उपयोग के लिए सामान बेचता है तो उससे लाभ मिल सकता है। लेकिन अंततः उस पर उसके द्वारा भ्गतान किए गए उत्पाद श्ल्क का बोझ पास की गई वस्त् के खरीददार और ऐसे खरीददार पर आ जाता है, यदि वह नियम 12 द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर वस्त् का निर्यात करता है, तब वह नियम 12 के तहत जारी अधिसूचना के तहत अनुमत सीमा तक भुगतान किए गए शूल्क की वापसी का दावा कर सकते हैं। इसलिए, ऐसे नियोतक का लाभ केवल पट्टेदार श्ल्क की सीमा तक होगा जो वह अंततः भ्गतान करता है, जबिक नियम 13 के मामले में यदि निर्माता सीधे उस वस्त् का निर्यात करता है जो उसे सीधे मिलती है तो वह लाभ, उसे आयातित विदेशी खरीददार को देने का कोई अवसर नहीं होगा। वह निर्यात मूल्य को उस सीमा तक वहन करेगा जो अंततः निर्यात की गई वस्तु को वहन करनी होती है। किसी भी अन्य मामले में नियम 13 के तहत निर्यातक द्वारा या माल के निर्माता द्वारा घरेलू उपभोग के लिए पास कराई गई वस्त् द्वारा जन्में श्ल्क का भार शून्य होगा, क्योंकि वह अपने भार को नियम 13 के अधीन विदेशी खरीददार को पास करेगा, अथवा घरेलू उपभोग के लिये खरीददार को नियम 12 के अधीन जो कि अपनी बारी पर छूट अर्जित करेगा, भूगतान किये गये शूल्क पर यदि माल को नियम 12 के तहत नियात किया गया हो, इस प्रकार उत्पाद शुल्क का घरेलू उपभोग के लिए या निर्यात की गई वस्तुओं पर निर्माता द्वारा अर्जित लाभ की सीमा पर या निर्यात की गई वस्तुओं पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। एेसी वस्त्ओ पर घरेलू या विदेशी बाजार में बाजार मूल्य और लागत मूल्य के बीच लाभ का अंतर होगा। घरेलू बाजार में मार्जिन कम हो सकता है क्योंकि उत्पाद शुल्क लागत का हिस्सा होगा। यदि नियम 13 के तहत श्लक का भ्गतान किए बिना माल का निर्यात किया जाता है तो विदेशी बाजार में यह अधिक हो सकता है। परिमाणतः, कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस विचार से सहमत होना संभव नहीं है कि, क्योंकि नियम 12 के तहत निर्माता घरेलू खरीद के लिए स्थानीय बाजार में बेचकर अधिक लाभ कमाता है, नियम 12 के तहत निर्यातक, नियम 13 के तहत समान प्रकार की वस्त्ओं के निर्यातक, निर्माता की त्लना में उत्पाद शुल्क का अधिक बोझ वहन कर सकता है। इसी तरह, कलकता उच्च न्यायालय दवारा रिपोर्ट के पैरा 28 में इस आशय के लिए अपनाए गए तर्क की सराहना करना संभव नहीं है कि नियम 13 के तहत जो स्रक्षित करने की मांग की गई है वह माल का उचित निर्यात है, और निर्यातक द्वारा वहन किए जाने वाला श्लक नहीं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उत्पाद श्ल्क का निर्यात से या निर्यात पर सीमा श्ल्क लगाने से कोई लेना-देना नहीं है। वे केवल उन उत्पाद श्ल्कों की वसूली और वसूली से संबंधित हैं जो माल के निर्माण से जुड़े होते हैं और उनकी निकासी या तो घरेलू उपभोग के लिए या जैसा भी मामला हो, निर्यात के लिए होती है। कलकता उच्च न्यायालय ने यह विचार रखने में भी गलती की है कि नियम 13 में पाए जाने

वाले "उसी तरह से निर्यात किया जाए" शब्द निर्यात की प्रक्रिया से संबंधित हैं, क्योंकि प्रक्रिया पहले से ही उसी नियम में एक स्पष्ट प्रावधान करके प्रदान की गई है कि ऐसा निर्यात इन नियमों के अध्याय IX में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। परिणामतः कलकता उच्च न्यायालय द्वारा इस वाक्यांश को दिया गया अर्थ, "उसी तरह से निर्यात किया जा सकता है" जैसा कि नियम 13 में पाया गया है, उच्च न्यायालय के तर्क पर उत्तेजक हो जाएगा। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि जब नियम 13 इसी तरह से किए जाने वाले निर्यात को संदर्भित करता है, इसका अनिवार्य रूप से वही अर्थ होगा जो पूर्ववर्ती नियम 12 दवारा निर्धारित शर्तों और आवश्यकताओं के अधीन है जो एक ही विषय को संदर्भित करता है, अर्थात्, उत्पाद शुल्क योग्य वस्त्ओ और उन पर दिए गए उत्पाद शुल्क का निर्यात, चाहे वस्तुओं के निर्माता ने श्लक के भ्गतान के बाद या श्लक के भ्गतान से पहले उनका निर्यात किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कलकता उच्च न्यायालय ने हिन्द्स्तान एल्य्मिनियम कार्पीरेशन लिमिटेड बनाम अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद श्ल्क (उपरोक्त) में दिल्ली उच्च न्यायालय के तर्क में यह विचार रखते हुए गलती पाई है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से यह मान लिया था कि निर्यात की गई वस्त्एं नियम 8 के तहत उत्पाद श्ल्क के भ्गतान से छूट पायी वस्त्एं नहीं हैं। और यह कि अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान को उच्च न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया था। अब यह लाभप्रद नहीं कहा जा सकता है कि विचाराधीन वस्त्ओं को कवर करने वाली कोई छूट अधिसूचना नियम 8 के तहत जारी नहीं की जाती है। जहाँ तक धारा 37 का संबंध है, वह सब जो प्राविधत किया गया है कि केंद्र सरकार अधिनियम द्वारा लगाए गए कर्तव्यों से पूर्ण या आंशिक छूट प्रदान करने के लिए नियम बना सकती है। इस संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के नियम केंद्र सरकार द्वारा धारा 37 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हए बनाए जाते हैं। छूट से संबंधित नियम 8 भी इन नियमों का एक हिस्सा है और इसका संबंध धारा 37 से है। नियम 13 का छूट से कोई लेना-देना नहीं है जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से माना है। यदि नियम 13 बंध्आ गोदाम से निर्यात की जाने वाली वस्त्ओं पर उत्पाद श्लक के भ्गतान से पूर्ण छूट के बारे में था, तो नियम बनाने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसी उत्पाद शुल्क योग्य वस्त्ओं पर देय पूरे शुल्क को कवर करने के लिए बॉन्ड के निष्पादन प्रदान करने की कोई आावश्यकता नहीं होती। इन सभी कारणों के अलावा, यह स्पष्ट है कि जिस निष्कर्ष पर कलकता उच्च न्यायालय पहुंचा, वह यह है कि नियम 12 नियम 13 से स्वतंत्र है, जिसके परिणामस्वरूप एक विसंगत और भेदभावपूर्ण स्थिति पैदा होगी, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा च्की है, इस तरह की व्याख्या को भारत के संविधान के अन्च्छेद 14 के कठोर आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि कलकता उच्च न्यायालय के निर्णय को सही कानून निर्धारित करने वाला नहीं माना जा सकता है। इसके विपरीत जैसा कि पहले देखा गया है हिन्द्स्तान एल्य्मिनियम कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद श्ल्क निर्णय में दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियम 12 और 13 की सही व्याख्या की है।इसलिए न्यायाधिकरण दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करने और उसके आलोक में अपने निष्कर्ष पर पह्चने में सही था। परिणामतः यह अपील विफल हो जाती हैं और खारिज की जाती हैं। मामले में तथ्यों और परिस्थितियों में खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिका खारिज की गई।

यह अनुवाद और्टिफिशियल इंटेलिजेंश टूल'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **डॉ मनीष हरजाई (और॰जे॰एस॰)** द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन तथा कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।